UPLL010030072022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (उ०प्र०द०प्र०क्षे०अ०)ललितपुर।

पीठासीन अधिकारी- (शबिस्ताँ आकिल)

(उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06283

विविध वाद संख्या 738/2022

प्रीतम सिंह बनाम बिन्दू पाल आदि।

19.01.2024

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सविस्तार सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि वह ग्राम कौलोनी, थाना बानपुर, जिला ललितपुर का निवासी है। परिवादी व मुलजिमान एक ही गांव ग्राम कौलोनी, थाना बानपुर, जिला ललितपुर के निवासी हैं। मुल्जिमान काफी आपराधिक किस्म के झगड़ालू व्यक्ति हैं और आपस में एक गिरोह बनाये हुये हैं।

दिनांक 25.09.2022 को समय करीब 4.00 बजे शाम को परिवादी अपने हार का कुआ वाले खेत में कटी हुई डली उर्द की फसल की रखवाली कर रहा था व अपनी बकरियां चरा रहा था एवं पास में ही स्थित खेत में परिवादी के परिवार जन उर्द की फसल काट रहे थे कि उसी समय मुलजिमान बिन्दूपाल, आशाराम पाल, गब्बू एवं धनीराम पाल एक राय होकर आये और परिवादी की एक बकरी पकड़कर ले जाने लगे। परिवादी ने उक्त मुलजिमानों को मना किया तो सभी लोग बुरी-बुरी गालियों देते हुए परिवादी की लात-घूसों से मारपीट करने लगे तथा सभी ने मिलकर अपने हाथों में लिये हुए लाठी, डण्डों से जान से मार डालने की धमकी देते हुए परिवादी के गले में पहनी चाँदी की जंजीर व जेब में रखे हुए 2,000/- रुपया जबरन लूट लिये। परिवादी चिल्लाया तो शोर सुनकर पास के खेत में उर्द की फसल काट रहे चत्तू पाल, विन्द्रावन पाल, रामदास पाल एवं अन्य कई लोग दौड़े और उक्त मुलजिमानों को ललकारा तो उक्त सभी मुलजिमान लूटे गये रुपये, चाँदी की जंजीर व एक बकरी को जबरन पकड़कर लूटकर भाग गये और कहते गये यदि रिपोर्ट की तो किसी दिन मौका पाकर जान से मार डालेंगे। परिवादी घटना की रिपोर्ट करने थाना गया तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की और जाँच कर कार्यवाही करने का आश्वासन देकर भगा दिया, किन्तु कोई कार्यवाही नही की गयी।

परिवादी ने घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक, ललितपुर को स्वयं उपस्थित होकर एवं जरिये रजिस्ट्री डाक दिनाँक 01-10-2022 को दी, किन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

4. परिवादी का धारा 200 CrPC के अन्तर्गत परीक्षण किया गया और दो अन्य गवाहों पीडब्लू 1 चत्तु और पीडब्लू 2 विन्द्रावन का धारा 202 CrPC के अन्तर्गत परीक्षण किया गया, जिन्होंने वाद के तथ्यों का समर्थन किया है। वाद के तथ्यों के अनुसार अभियुक्तगण ने परिवादी को मारापीटा और परिवादी की चाँदी की जंजीर व जेब में रखे हुए 2,000/- रुपये जबरन लूट लिये।

5. परिवादी द्वारा अपने बयान u/s 200 CrPC में कथन किया गया है कि घटना दिनांक 25.09.2022 समय शाम के 04.00 बजे की है। वह अपने खेत में बकरियां चरा रहा था। बिन्दुपाल, आशाराम पाल, धनीराम, गब्बु आये और उसे गाली-गलौच करने लगे। उसकी बकरियां पकड़कर ले जाने लगे। उसने मना किया तो उन

Digitally signed by Shabistan Aquil
Date: 2024.01.19 14:54:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लोगों ने उसे मारा-पीटा और उसकी गले की चैन खींच ली और उसका पर्स ले गये जिसमें 2000/- रुपये रखे थे। उसके चिल्लाने पर चत्तु, विन्द्रावन और रामदास आ गये। इन लोगों ने उसे बचाया। मुल्जिमान एक बकरी लेकर भाग गये और धमकी दी कि यदि रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे। थाने में उसके जाने पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। एसपी को प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्ट्री दिया था।

उपरोक्त के आधार पर व परिवादी के बयान एवं गवाहों के बयानों के आलोक में अभियुक्तगण बिन्दू पाल, आशाराम पाल, गब्बू पाल व धनीराम के विरुद्ध प्रथम दृष्टया केस धारा 392 IPC के अन्तर्गत बनना प्रतीत होता है। इसलिए, अभियुक्तगण बिन्दू पाल, आशाराम पाल, गब्बू पाल व धनीराम को धारा 392 IPC के अन्तर्गत तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्तगण बिन्दू पाल, आशाराम पाल, गब्बू पाल व धनीराम को धारा 392 IPC के अन्तर्गत तलब किया जाता है। वाद को स्पेशल सेशन ट्रायल के तौर पर दर्ज किया जाए। उपस्थिति हेतु दिनांक 23.02.2024 को पेश हों।

दिनांक **19.01.2024**

(शबिस्ताँ आकिल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (उ०प्र०द०प्र०क्षे०अ०)
ललितपुर।